प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 9

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....
प्र. इ. रि. स. .....85/22..... दिनांक .....9/5/2022.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....189.....समय.....6-40 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 08.03.2022.... समय 02.45 पी.एम. .....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 26.02.2022 समय.....11.30 एएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा पूर्व 13 किमी .....
(ब) पता – उपखण्ड कार्यालय पुष्कर, जिला अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
....
6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री नाथुलाल खींची.....
(ब) पिता का नाम श्री सोहन लाल.....
(स) जन्म तिथि / वर्ष 38 साल.....

(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....
(ल) पता ... 12 घाट छोटी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर .....
7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री रघुवीर सिंह भाटी पुत्र श्री नाथू सिंह भाटी जाति रावणा राजपूत उम्र 51 साल निवासी 15ए, न्यू गीता कॉलोनी, फॉय सागर रोड़, अजमेर हाल रीड़र (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) एस.डी.एम., कार्यालय पुष्कर जिला अजमेर
8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....36,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....36,000/– –रू0 रिश्वत राशि ..
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रिश्वत लेते हुये पडकवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैने सायरी पत्नि स्व0 श्री मिठू नट निवासी कडैल जिला अजमेर व उनके परिजनो से ग्राम कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर मे स्थित खसरा नम्बर 163 व 163/781 की सयुंक्त खातेदारी की 10 बीघा जमीन खरीदी थी। सायरी व उसके परिजनो से दस बीघा जमीन में से साढे आठ बीघा जमीन मैने मेरे नाम दिनांक 03.07.20214 रजिस्ट्री करवाई तथा मिठू नट के पुत्र मनमोहन के हिस्से की डेढ बीघा जमीन मेरे भाई दिलीप के नाम से दिनांक 30.07.2014 को पंजीयन विक्रय पत्र से खरीदी थी। बाद मे मैने मेरे भाई दिलीप से ढेड बीघा जमीन भी जरिये बेचान मेरे नाम पर दिनांक 04.08.2014 को करवा ली थी इस प्रकार पूरी दस बीघा जमीन का कब्जा व पंजीयन मेरे नाम पर हो गया,परन्तु पुराने गलत इन्द्राज के कारण सायरी व उसके परिजनो के नाम पर साढे नो बीघा जमीन का ही नामान्तरण हो रखा था। गलत इन्द्राज के कारण पडौसी खातेदार कल्याण वगैराह के नो बीघा जमीन के स्थान पर साढे नो बीघा जमीन का इन्द्राज राजस्व मे हो रखा था। मैने मेरी जमीन का भू उपयोग परिवर्तन करवाकर अर्पित जैन व वैभव सोनी को पौने नो बीघा जमीन बेच दी। चूकिं राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम पर करीब आधा बीघा जमीन कम थी इसलिये मैने सायरी व अन्य के नाम से कल्याण वगैराह के विरूद्व उपखण्ड कार्यालय पुष्कर मे उक्त आधा बीघा जमीन के सम्बन्ध मे दावा दायर किया गया है। चूंकि पूर्व में सायरी के समय से ही यह इन्द्राज गलत हो रखा था इसलिये उनकी तरफ से दावा दायर किया गया है। सायरी देवी पत्नि स्व. मिठू नट व उसके परिजनो से मेरे भाई दिलीप के नाम का मुख्तयार आम दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त किया गया। यह जमीन मेरी

खरीद शुदा है इसलिये समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। वर्तमान मे उक्त दावा बाबत उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पुष्कर मे समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। दायर दावा संख्या 28/2021 धारा 212 काश्तकार अधिनियम के तहत श्रीमती सायरी व अन्य बनाम श्री कल्याण व अन्य होकर सुनवाई उपखण्ड अधिकारी श्री सुखाराम द्वारा की जा रही हैं। दावे मे आगे की तारीख 01.04.2022 है। मै इस दावे के सम्बन्ध मे उपखण्ड अधिकारी के रीडर श्री रघु जी से मिला तो उसने दावे के सम्बन्ध मे हमारे पक्ष मे स्टे दिलवाने के बदले एसडीएम सुखाराम के लिये पहले तो एक लाख रूपयें मांगे व बाद मे पचास हजार रूपये लेने पर राजी हो गया। मै कल उपखण्ड कार्यालय मे उससे मिला तो उसने मुझे हमारे पक्ष मे स्टे ऑर्डर भी दिखाया जो टाईपशुदा था उसने कहा कि पचास हजार रूपये दे जाओ तथा स्टे ऑर्डर ले जाओ। एसडीएम से साईन करवा लूंगा। मै बहुत परेशान हूं तथा स्वंय की खरीदशुदा जमीन को भी खुद के नाम पर करवाने के लिये मै रघु जी रीडर को एसडीएम सुखाराम के लिये रूपये नही देना चाहता हूं। रघु रीडर व सुखाराम उपखण्ड अधिकारी की आपस मे मिलीभगती है। मैने अभी तक पचास हजार रूपये नही दिये इसलिये ही वे लोग मुझे स्टे ऑर्डर नही दे रहे है। मै इन लोगो को रिश्वत नही देना चाहता हूं कृपया कानूनी कार्यवाही करे तथा मुझे न्याय दिलावे। दिनांक 26.02.2022 प्रार्थी, (नाथूलाल खीची), पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी 12 घाट छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर, मोबाईल नम्बर 8233915094

—:: कार्यवाही पुलिस पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर::—

दिनांक :— 26.02.2022 समय :— 11.30 ए.एम.

उपरोक्त टाईप शुदा रिपोर्ट परिवादी श्री नाथूलाल खीची पुत्र श्री सोहन लाल जाति खटीक उम्र 38 साल निवासी 12 घाट छोटी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर द्वारा उपस्थित कार्यालय होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत शुदा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दरियाफ्त पर परिवादी श्री नाथू लाल ने बताया कि " मैने सायरी पत्नि स्व0 श्री मिठू नट निवासी कडैल जिला अजमेर व उनके परिजनो से राजस्व ग्राम कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर मे स्थित खसरा नम्बर 163 व 163/781 की सयुंक्त खातेदारी की 10 बीघा जमीन खरीदी थी । सायरी व उसके परिजनो के नाम दस बीघा जमीन में से साढे आठ बीघा जमीन मैने मेरे नाम पर दिनांक 03.07.20214 रजिस्ट्री करवाई थी तथा मिटू नट के पुत्र मनमोहन के हिस्से की डेढ बीघा जमीन मेरे भाई दिलीप के नाम से दिनांक 30.07.2014 को पंजीयन विक्रय पत्र से खरीदी थी। बाद मे मैने मेरे भाई दिलीप से ढेड बीघा जमीन भी जरिये बेचान मेरे नाम पर दिनांक 04.08.2014 को करवा ली थी इस प्रकार पूरी दस बीघा जमीन का कब्जा व पंजीयन मेरे नाम पर हो गया। परन्तु पुराने गलत इन्द्राज के कारण सायरी व उसके परिजनो के नाम पर साढे नो बीघा जमीन का ही नामान्तरण हो रखा था। गलत इन्द्राज के कारण पडौसी खातेदार कल्याण वगैराह के नो बीघा जमीन के स्थान पर साढे नो बीघा जमीन का इन्द्राज राजस्व मे हो रखा था। मैने मेरी जमीन का भू उपयोग परिवर्तन करवाकर अर्पित जैन व वैभव सोनी को पौने नो बीघा जमीन बेच दी। चूकिं राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम पर करीब आधा बीघा जमीन कम थी इसलिये मैने सायरी व अन्य के नाम से कल्याण वगैराह के विरूद्व उपखण्ड कार्यालय पुष्कर मे उक्त आधा बीघा जमीन के सम्बन्ध मे दावा दायर किया गया है। चूकिं पूर्व में सायरी के समय से ही यह इन्द्राज गलत हो रखा था इसलिये उनकी तरफ से दावा दायर किया गया है। सायरी देवी पत्नि स्व. मिठू नट व उसके परिजनो से मेरे भाई दिलीप के नाम का मुख्तयार आम दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त किया गया। यह जमीन मेरी खरीद शुदा है इसलिये समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। वर्तमान मे उक्त दावा बाबत उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पुष्कर मे समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। दायर किये गये दावा संख्या 28/2021 धारा 212 काश्तकारी अधिनियम श्रीमती सायरी व अन्य बनाम श्री कल्याण व अन्य होकर सुनवाई उपखण्ड अधिकारी श्री सुखाराम द्वारा की जा रही है। दावे मे आगे की तारीख 01.04.2022 है। मै इस दावे के सम्बन्ध मे उपखण्ड अधिकारी के रीडर श्री रघु जी से मिला तो उसने दावे के सम्बन्ध मे हमारे पक्ष मे स्टे दिलवाने के बदले एसडीएम सुखाराम के लिये पहले तो एक लाख रूपयें मांगे व बाद मे पचास हजार रूपये लेने पर राजी हो गया। मै कल उपखण्ड कार्यालय मे उससे मिला तो उसने मुझे हमारे पक्ष मे स्टे ऑर्डर भी दिखाया जो टाईपशुदा था उसने कहा कि पचास हजार रूपये दे जाओ तथा स्टे ऑर्डर ले जाओ। एसडीएम से साईन करवा लूंगा। मै

बहुत परेशान हूं तथा स्वंय की खरीदशुदा जमीन को भी खुद के नाम पर करवाने के लिये मै रघु जी रीडर को एसडीएम सुखाराम के लिये रूपये नही देना चाहता हूं। रघु रीडर व सुखाराम उपखण्ड अधिकारी की आपस मे मिलीभगती है। मैने अभी तक पचास हजार रूपये नही दिये इसलिये ही वे लोग मुझे स्टे ऑर्डर नही दे रहे है। मै इन लोगो को रिश्वत नही देना चाहता हूं।" " रिपोर्ट के सम्बन्ध मे पूछने पर अपने मिलने वाले से कम्प्यूटर पर टाईप करवाकर तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। पूछने पर रीडर श्री रघु तथा एसडीएम श्री सुखाराम से किसी भी प्रकार का उधार लेनदेन व रंजिश होने से इंकार किया। उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट व दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी नाथूलाल को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में समझाईस की गई तो परिवादी ने बताया कि "मेरी कल ही रीडर रघु से मेरे काम तथा रिश्वत के सम्बन्ध मे पूरी बात हो चुकी है अब तो उसे सीधे ही पचास हजार रूपये देने है तथा पचास हजार रूपये देने के पश्चात वह एसडीएम से स्टे ऑर्डर पर हस्ताक्षर करवाकर मुझे स्टे ऑर्डर की कॉपी दे देगा। उसने मुझे एसडीएम से मिलने भी नही दिया है उनकी आपस मे मिली भगती है। मै दो चार बार रीडर से मेरे दावे के फैसले तथा स्टे के सम्बन्ध मे मिला परन्तु रूपयो की बात नही हुई इसलिये मुझे ना तो स्टे मिला ना ही फैसला हुआ है। बाद मे जब मै पैसे देने को राजी हुआ तो वे लोग स्टे देने की कार्यवाही करने लग गये है। दावे मे अग्रिम तारीख तो 01.04.2022 है परन्तु पैसे लेने की गरज से स्टे ऑर्डर उन्होने तैयार कर लिया है पैसे देते ही साईन करवा कर मुझे स्टे ऑर्डर दे देंगें। परिवादी से रीडर श्री रघु का पूरा नाम पूछा तो परिवादी ने बताया कि रीडर साहब को सभी रघु जी ही कहकर पुकारते है। परिवादी को रिश्वत मांग की प्रकिया बाबत विस्तृत रूप से समझाया गया तो परिवादी ने कहा कि रघु रीडर से मेरे काम तथा रिश्वत के सम्बन्ध मे बात करने का प्रयास कर सकता हूं। आज शनिवार का अवकाश है इसलिये आज वह घर पर है या ऑफिस मे इसकी जानकारी हेतु उसे मोबाईल से कॉल करना पडेगा। जिस पर अलमारी से वॉयस रिकार्डर मंगवाया जाकर श्री कैलाश चारण हैड कानि को कक्ष मे बुलाया जाकर परिवादी व श्री कैलाश चारण का आपस मे परिचय करवाया गया। परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की समझाईश की गई। तत्पश्चात कार्यालय में से एक नया/खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर उसे वाईस रिकॉर्डर मे डाला गया। परिवादी श्री नाथूलाल के मोबाईल नम्बर 8233915094 से श्री रघु के मोबाईल नम्बर 9251953594 पर फोन लगाया जाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर चालू किया जाकर परिवादी व श्री रघु के मध्य हुई वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। वार्ता मे श्री रघु द्वारा परिवादी के पूछने पर स्वंय का ऑफिस मे ही होना तथा परिवादी को ऑफिस ही बुलाया गया। श्री कैलाश चारण को वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी व नाथूलाल के साथ वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपखण्ड कार्यालय पुष्कर के लिये रवाना किया, जो बाद सत्यापन वार्ता उपस्थित कार्यालय आये तथा परिवादी ने बताया कि श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 ने एसडीएम कार्यालय पुष्कर से थोडी देर पहले मुझे वायॅस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया जो मैने मेरी पहने हुये शर्ट की उपर की जेब मे रख लिया। मै करीब 2.20 पीएम पर एसडीएम कार्यालय गया वहां पर रीडर रघु जी मौजूद थे, उनके पास दो आदमी और थे जिनसे वो बात कर रहे थे उनके जाते ही मैने उनसे बात की तो उन्होने रूपयो की कहा तथा मेरे द्वारा बीस हजार ही होने की कहने पर उन्होने बीस मे कैसे बैठेगा तथा एसडीएम का बिना रूपये लिये साईन नही करने तथा शाम तक पूरी व्यवस्था अर्थात पूरे पचास हजार रूपये की व्यवस्था करने की कहा। उसी दौरान उसकी नजर मेरी जेब पर पडी उसने पूछा क्या है तो उसे शक नही हो इसलिये मै ज्यादा बात नही कर वंहा से रवाना हो गया। तथा बाहर की तरफ आकर वायॅस रिकॉर्डर कैलाश जी को दे दिया जो उन्होने बन्द कर लिया।" प्रस्तुत शुदा वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। वायॅस रिकॉर्डर को मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। परिवादी को आगामी कार्यवाही हेतु बताया गया तो परिवादी ने कहा कि " मेरे अभी पचास हजार रूपये की व्यवथा नही है। मुझे रूपयो की व्यवस्था करने मे समय लगेगा जैसे ही पचास हजार रूपये की व्यवस्था हो जायेगी वैसे ही मै आपके कार्यालय मे उपस्थित हो जाउंगा" दिनांक 07.03.2022 को परिवादी नाथूलाल कार्यालय मे

उपस्थित आया तथा बताया कि पचास हजार रूपयो की व्यवस्था हो गई है। समय 05. 03 पीएम पर परिवादी श्री नाथूलाल के मोबाईल नम्बर 8233915094 से श्री रघु रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के मोबाईल नम्बर 9251953594 पर फोन लगाया जाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर चालू किया जाकर परिवादी व श्री रघु के मध्य हुई वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। वार्ता मे आरोपी श्री रघु द्वारा अपनी चाचीजी के देहान्त होने के कारण अवकाश पर होना बताया तथा परिवादी द्वारा रूपयो की व्यवस्था होना बताया तो आरोपी द्वारा कल मिलने की कहा तथा परिवादी के पूछने पर कागज स्वंय के पास होना बताया। दिनांक 08.03.2022 को श्री कैलाश चारण हैड कानि ने अवगत करवाया कि ''परिवादी नाथूलाल को श्री रघु, रीडर ने उसे फोन कर एसडीएम कार्यालय बुलाया है जिस पर मैने परिवादी को कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु अवगत करवाया है। इस पर पूर्व से अन्य गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबन्दशुदा गवाहान श्री रामनिवास, कनिष्ठ सहायक व श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय स्थानिय निधी एंव अंकेक्षण विभाग, अजमेर को जरिये फोन तलब कर कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री नाथूलाल कार्यालय मे उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि अभी करीब 11 बजे रघुजी रीडर का मेरे मोबाईल फोन पर फोन आया तथा उन्होने मुझे ऑफिस मे ही बुलाया है वो आज ही मेरे से रिश्वत राशि लेगा। हो सकता है मेरे से रिश्वत राशि लेने ही रघु जी बाबूजी ऑफिस आये हो। परिवादी ने बताया कि वह रघुजी बाबूजी को देने वाली रिश्वत राशि 50000 साथ लेकर आया है। जिस पर अन्य कक्ष से गवाहो को बुलाया जाकर परिवादी व गवाहान का आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2022 गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा दिखाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर उसमें दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता गवाहान को सुनाई गई। कार्यवाही मे बतौर गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर गवाहान द्वारा कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को शब्द–ब–शब्द पृथक ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की दो सीडी आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे में अनसिल्ड रखी गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः ''एम.'' अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी नाथूलाल को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 2000–2000 रूपये के 25 नोट कुल 50,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री नाथूलाल को तथा हैड कानि श्री कैलाश चारण को मय वायॅस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड सहित परिवादी की मोटर साईकिल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान श्री राजकुमार, श्री रामनिवास मय एसीबी टीम श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58, श्री युवराज सिंह हैड कानि नम्बर 120 व श्री मौ0 ईशाक कानि नम्बर 40 मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से तथा श्री शिव सिंह कानि0 547 व कनिष्ठ सहायक श्री किरण कुमार को श्री शिव सिंह की मोटर साईकिल से रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय पुष्कर से थोडा पहले पहुंच वाहनो को साईड मे खडा किया जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर वायॅस रिकॉर्डर हैड कानि0 श्री कैलाश चारण से चालू करवाकर परिवादी को उपखण्ड कार्यालय के लिये उसकी स्वंय की मोटर साईकिल से हैड कानि श्री कैलाश चारण के साथ रवाना किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय हमराहीयान के पीछे पीछे रवाना होकर एसडीएम कार्यालय के पास ही अपनी उपस्थिति छिपाकर मय हमराहीयान के वाहन में ही मुकीम हुआ। श्री

कैलाश चारण हैड़ कानि0 ने जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि अभी थोडी देर पहले परिवादी वापस उपखण्ड कार्यालय से बाहर की तरफ आया आरोपी रीडर ने उससे नकल आवेदन का फॉर्म मंगवाया है जो बाहर किसी दुकान से लेकर परिवादी ने मेरे से सम्पर्क किया तथा मैने वॉयस रिकॉर्डर बन्द किया तथा परिवादी को पुनः वायॅस रिकॉर्डर चालू कर एसडीएम कार्यालय के अन्दर भेजा है। समय 02.45 पीएम पर परिवादी श्री नाथूलाल खिंची ने श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 के मोबाईल पर फोन कर रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर हैड़ कानि0 श्री कैलाश ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल से एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यो को हाथ से ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120, श्री शिव सिंह कानि0 547, श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 40, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक को हमराह लेकर एस. डी.एम. कार्यालय में स्थित कोर्ट कक्ष के गेट पर परिवादी श्री नाथुलाल एवं श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 94 उपस्थित मिला, परिवादी ने कोर्ट कक्ष की तरफ ईशारा कर बताया कि इसमें रीडर साहब रघुजी बैठे हुए है। परिवादी द्वारा वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया गया, जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि रीडर रघु जी ने मेरे से 36,000 रूपये रिश्वत राशि लेकर स्टे ऑर्डर की कॉपी दे दी है, जो मेरे हाथ में हैं। परिवादी को साथ लेकर उक्त कोर्ट कक्ष में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति खड़ा मिला, जिसकी तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही रीडर रधु जी है। इस पर उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए परिचय पूछा तो अपना नाम रघुवीर सिंह भाटी पुत्र श्री नाथू सिंह भाटी जाति रावणा राजपूत, उम्र 51 साल, निवासी 15ए, न्यू गीता कॉलोनी, फॉय सागर रोड़, अजमेर हाल रीड़र (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) एस.डी.एम., कार्यालय पुष्कर जिला अजमेर होना बताया। उक्त श्री रघुवीर सिंह को परिवादी की और ईशारा कर रिश्वत राशि प्राप्ति के संबंध में पूछा गया तो श्री रघुवीर सिंह ने बताया कि ''मैने श्री नाथुलाल से अभी थोड़ी देर पहले 36,000 रूपये लिये है। मैने नाथुलाल से 35,000 रूपये उधार मांगे थे तो इसके पास खुले नही होने से एवं नोट 2000 रूपये के होने से इसने मुझे 36,000 रूपये दिये है, जो मैने अपनी जॉकिट की दाहिनी जेब में रखे हैं।'' इस पर परिवादी श्री नाथुलाल ने श्री रघुवीर सिंह के उक्त कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि ''रघुजी झूंठ बोल रहे है, इन्होने मेरे द्वारा खरीदी हुई जमीन की विक्रेता श्रीमती सायरी व अन्य की और से श्री कल्याण व अन्य के विरूद्ध दायर वाद में स्टे ऑर्डर जारी करवाने की एवज में अपने व एसडीएम साहब के लिए 50,000 रूपये रिश्वत की मांग दिनांक 26.02.22 को की थी। इसके बाद मुझे रिश्वत राशि के लिए बार–बार फोन कर रहे थे, जिस पर मैं आज अभी इनसे मिला तो इन्होने कहा कि तुम्हारे केस में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, नकल के लिए फॉर्म लेकर आ जाओ, नकल दे देता हूँ जिस पर मै अपनी मोटर साईकिल से बाहर गया तथा नकल का फॉर्म लेकर आया तथा श्री कैलाश जी से मिलकर उन्हे यह बात बताई। कैलाश जी ने मुझसे वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा वापस मुझे रिकॉर्डर चालू कर दिया। फिर मै वापस एसडीएम कार्यालय मे आया तथा रघुजी बाबूजी मिला तथा उन्हे नकल का फॉर्म दिया। बाबूजी ने मुझे स्टे ऑर्डर की फोटो कॉपी करवाने के लिए मूल ऑर्डर दिया। मै एसडीएम कार्यालय से बाहर की तरफ गया तथा ऑर्डर की दो फोटो कॉपी करवायी तथा मैने मोबाईल के द्वारा कैलाश जी को बताया भी था। मै ऑर्डर की फोटो कॉपी करवाकर वापस एसडीएम कार्यालय मे बाबूजी रघुजी को मूल ऑर्डर व फोटो कॉपी दे दी। रघुजी बाबूजी ने नकल फॉर्म इन्होने खुद ही भरा, नकल फार्म पर बाबूजी के कहे अुनसार नकल के फॉर्म पर हस्ते दिलीप लिख दिया। मैने नकल रजिस्टर में हस्ते दिलीप लिखा। इसके बाद मुझे नकल की दो प्रमाणित कॉपी दी। फिर इन्होने मुझे रूपये देने के लिए कहा तो मैने इनको इनकी मांग अनुसार 50,000 रूपये दिये तो इन्होने 35000 रूपये देने का ही कहते हुये नोटो को गिनकर 36,000 रूपये रखते हुए 14,000 रूपये मुझे वापस दे दिये, जो मेरे पास हैं।'' इस पर श्री रघुवीर सिंह को परिवादी के उक्त कथनो के संबंध में पूछा तो श्री रघुवीर सिंह ने बताया कि ''मैने तो 35,000 रूपये ही उधार मांगे थे, इसके पास 2000 रूपये के ही नोट थे, खुल्ले नही थे इसलिए इसने 36000 रूपये रख लिये।'' इस पर पुनः पूछा कि दिनांक 26.02.22 को आप द्वारा परिवादी से श्रीमती सायरी की

और से नियुक्त मुख्तयारआम परिवादी नाथु लाल के छोटे भाई दिलीप की और से दायर जमीन वाद में स्टे ऑर्डर जारी करवाने की एवज में अपने व एसडीएम साहब के लिए 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी, जिसकी रिकार्डिंग है तथा उक्त रिकार्डिंग की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई है, जिसके अनुसार आपने 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना हैं? इस पर श्री रघुवीर सिंह ने बताया कि मैने कोई रिश्वत नही मांगी उधार ही मांगे थे। इस पर श्री रघुवीर सिंह को फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पढवायी गई और पूछा गया कि इसमें स्टे ऑर्डर जारी करने की एवज में रूपयो की मांग की गई हैं। उधार राशि का कोई जिक्र नही हैं। इस पर रघुवीरसिंह ने कहा कि ''मैने 50,000 रूपये ही उधार मांगे थे, परन्तु मुझे अब 35,000 रूपये की जरूरत थी। यह सही है कि मैनें उधार मांगने के बारे में नाथु से बात नही की। ये नाथु मेरे से मिलता रहता है 26 तारीख को भी मिला होगा और स्टे ऑर्डर के बारे मे बात की हो तो मुझे आज याद नही हैं।'' तत्पश्चात् एस.डी.एम. चैम्बर में प्रवेश कर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई तथा ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर एसडीएम कक्ष मे रखी पानी की बोतल से दो साफ कांच के गिलासो को पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री रघुवीर सिंह भाटी के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर सभी ने दोनो हाथो के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को मार्क क्रमंशः आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री रघुवीर सिंह भाटी की निशादेही से उसकी पहनी हुई जॉकिट की जेब की तलाशी गवाह श्री रामनिवास से लिवायी गयी तो जॉकिट की जेब मे से 2–2 हजार रूपये के 18 नोट कुल 36,000 रूपये होना गवाह द्वारा बताया गया। जिनका मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो फर्द के क्रम संख्या 1 से 18 तक के नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना बताया गया। जिनका विवरण इस प्रकार हैं :–

1	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	0DA969415
2	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	5CP171700
3	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	3EW559074
4	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	0EG294224
5	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	0CM601269
6	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	9KM817670
7	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	3AK294173
8	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	0GC609177
9	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	5AC871794
10	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	5AV827408
11	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	2DG425899
12	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	4GC633420
13	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	6AF718226
14	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	9EM588532
15	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	5AR741378
16	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	5FU871621
17	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	9FU416702
18	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	3AU208338

उक्त बरामदशुदा नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् श्री रघुवीर सिंह भाटी के पहने हुए जॉकिट को ससम्मान उतरवाया गया व एक साफ गिलास को पुनः साफ कर स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर उपरोक्तानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो रंगहीन होना बताने पर उक्त घोल में उक्त जॉकिट के दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसको दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क जे–1, जे–2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। जॉकिट की जेब मे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जॉकिट को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क 'जे' अंकित कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थेली को कब्जे एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी श्री नाथुलाल को पाउडरयुक्त 14,000 रूपये के नोट प्रस्तुत करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 2–2 हजार रूपये के 7 नोट कुल 14000 रूपये प्रस्तुत किये, जिनके नम्बरो का मिलान पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी से करने पर फर्द में अंकित क्रम संख्या 19 से 25 तक अंकित अनुसार हूबहू पाये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	0MT673471
2	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	1ET625167
3	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	7LH631015
4	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	9AN569214
5	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	3EG806992
6	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	8AR905795
7	दो हजार रूपये का नोट नम्बर	2DN557586

उक्त नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री रघुवीर सिंह द्वारा परिवादी को स्टे ऑर्डर की नोटशीट की दो प्रमाणित कॉपी दी है, जिनमें से एक प्रति परिवादी से प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो उक्त नोटशीट वाद संख्या 28/2021 की किस्म मुकदमा 212 श्रीमती सायरी बनाम श्री कल्याण से संबन्धित होकर दिनांक 17.08.21 से दिनांक 18.02.22 तक होना पाया गया, जिसमें दिनांक 28.01.22 की आदेशिका में अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होना पाया गया। उक्त नोटशीट की प्रमाणित प्रति पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। आरोप श्री रघुवीर सिंह परिवादी के उक्त वाद संख्या 28/21, व 30/21 की न्यायालय पत्रावली, कॉज लिस्ट पत्रावली, नकल आवेदन पत्र एवं नकल रजिस्टर प्रस्तुत करने की कहने पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिनका अवलोकन किया गया। नकल फॉर्म पर दिनांक 04.03.22 की दिनांक का अंकन है के संबंध में पूछने पर आरोपी श्री रघुवीर सिंह ने बताया कि श्री नाथूलाल द्वारा दिनांक 04.03.22 को ही नकल का फॉर्म मुझे दिया था, जो मैंने 04.03.22 को ही भर दिया था, इस पर मौके पर मौजूद परिवादी ने उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि रघु जी बाबूजी बिल्कुल ही झूंठ बोल रहे हैं, आज जब सबसे पहले मैं इनसे मिला तब इन्होने नकल का फॉर्म लाने के लिए कहा जिस पर में फॉर्म लेकर आया तथा उक्त फॉर्म लाने की बात मैने कैलाश जी को मिलकर बतायी भी थी। नकल रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि उक्त नकल फॉर्म का इन्द्राज रजिस्टर के क्रम संख्या 97 पर अंकित कर दिनांक 04.03.22 लिखी गई है, जबकि क्रम संख्या 96 दिनांक 08.03.22 अंकित कर रखी हैं। इस विरोधभाष के संबंध में पूछने पर बताया कि आवेदन आने का इन्द्राज उस तारीख में रजिस्टर में नही करते है, जिस तारीख में नकल देते हैं उस दिन आवेदन की दिनांक लगाकर इन्ट्री कर देते हैं। नकल रजिस्टर से नकल देने की दिनांक का पता नही चलता हैं। नकल आवेदन प्राप्ति की रसीद संबन्धित को नही दी जाती हैं एवं ना ही उस दिन रजिस्टर में आवेदन का इन्द्राज किया जाता हैं। आरोपी श्री रघुवीर सिंह को उक्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु एसडीएम श्री

सुखाराम पीण्डेल के मोबाईल नम्बर 7014828331, 7300211622 पर सम्पर्क करना चाहा तो दोनो मोबाईल नम्बर स्वीच ऑफ होना पाया गया। इस पर एडीएम सिटी श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं जिला कलक्टर श्री अशंदीप से मोबाईल पर वार्ता कर श्री सुखाराम पीण्डेल एसडीएम को भिजवाने हेतु कहा गया परन्तु उन्होने कहा कि एसडीएम से सम्पर्क नही हो रहा है, किसी अन्य अधिकारी को भिजवाते हैं। इसके कुछ समय बाद श्री संदीप कुमार नायब तहसीलदार पुष्कर उपस्थित आये। जिनको वाद संख्या 28/21, 30/21 की न्यायालय पत्रावली, कॉज लिस्ट पत्रावली दिनांक 07.01.22, 28.01.22 व 18.02.22 के संबन्धित पृष्ठ, नकल आवेदन पत्र, नकल रजिस्टर सुपुर्द किये जाकर इनकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री संदीप कुमार ने उक्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी। वाद संख्या 28/21 एवं 30/21 की प्रमाणित प्रति के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर, कॉल लिस्ट, नकल फॉर्म की प्रमाणित प्रति के संबन्धित पृष्ठ पर एवं मूल नकल रजिस्टर के अंतिम इन्द्राज कम संख्या 97 के पृष्ठ पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री रघुवीर सिंह द्वारा परिवादी को दी गई प्रमाणित प्रति पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा हस्ताक्षर करने हेतु स्वंय को एसडीएम द्वारा अधिकृत करना बताया। जिस पर आरोपी को उक्त हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की कहने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर का आदेश कमांक 2 दिनांक 03.08.2021 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई, जिस पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। आरोपी श्री रघुवीर सिंह भाटी, रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी श्री रघुवीर सिंह भाटी, स्वतन्त्र गवाहान, मय हमराहीयान, मय जब्तशुदा आर्टिकल के पुष्कर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुँचा। दिनांक 09.03.22 को परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थित में रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनकर ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई एवं लेन–देन वार्ता की दो सीडी आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे में अनसिल्ड रखी गई। लेन–देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क एम–1 अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान नकल रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि जिस दिनांक को आवेदक द्वारा किसी दस्तावेजात की नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाता है उसकी प्रविष्टि उसी दिनांक को नकल रजिस्टर मे नही की जाकर अपनी सुविधा अनुसार प्रविष्टि नकल रजिस्टर मे की जाती है। जबकि जिस दिनांक को आवेदन प्राप्त होता है उसी दिनांक को उसकी प्रविष्टी नकल रजिस्टर मे की जानी चाहिये तथा जिस दिनांक को आवेदक को दस्तावेज की नकल दी जाती है उसकी प्रविष्टि भी उसी दिनांक को की जानी चाहिये। इसी प्रकार परिवादी से सम्बन्धित दावा पत्रावलियों 28/2021 व 30/2021की नोट शीट (फर्द अहकाम) के अवलोकन से पाया गया है कि वादी/प्रतिवादी/उनके अभिभाषक के उपस्थित होने के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही करवाये जाते है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब चाहे ऑर्डर/आदेश मे परिवर्तन किया जा सकता है,जो आरोपी के दुराचरण को परिलक्षित करते है।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रघुवीर सिंह भाटी रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री नाथूलाल के छोटे भाई दिलीप मुख्तयार आम श्रीमती सायरी व अन्य की और से दायर जमीनी वाद संख्या 28/2021 में स्थगन आदेश जारी करवाने की एवज में दिनांक 26.02.2022 को वक्त सत्यापन परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 08.03.22 को रिश्वत राशि 36,000 रूपये परिवादी श्री नाथूलाल से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जॉकिट की दाहिनी जेब में रखी, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई हैं तथा आरोपी के दोनो हाथो के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं जॉकिट की जेब का धोवण हल्का

गुलाबी आना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री रघुवीर सिंह भाटी का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री रघुवीर सिंह के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे प्रेषित है।

सूचना
09-03-2022

(सतनाम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस सअधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सतनाम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रघुवीर सिंह भाटी, हाल रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी), एस.डी.एम., कार्यालय पुष्कर, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 85/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 761-65 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

9.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।